

2018/00126

14  
4/11/18

प्रपत्र-8

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**  
(रा. मू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय

पौधन

विषय - राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

होदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लीलापुर देवगाड, की समस्त

संवत् 2070-73 खाता संख्या 47 में

बावला पुत्र पुनमा दर्ज है जबकि वास्तविक नाम धर्मापुत्र पुनमा है। पञ्चान दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता-पञ्चान में काही नाम धर्मापुत्र है अतः उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड में बावला पुत्र पुनमा के स्थान पर धर्मापुत्र पुनमा नाम दुरुस्ती करने की कृपा करें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

धर्मा  
प्रधान

दिनांक

अहमदाबाद की कसमति 14  
15/5/18

हम समस्त सह खातेदार वधान करने हैं कि रावरा पुत्र प्रनमा के नाम का कोई भी  
दस्तावेज हमारे खाते में नहीं है। इसके अलावा पर हम उन्हें धर्माश्रम के नाम से पहचानते हैं

रावरा पुत्र प्रनमा (जमागाम/पुनमा) रावरा पुत्र प्रनमा (जमागाम/पुनमा)  
रावरा पुत्र प्रनमा (जमागाम/पुनमा) रावरा पुत्र प्रनमा (जमागाम/पुनमा)

रिपोर्ट पटवारी व म.अ.नि.

जहाँ धर्माश्रम/पुनमा जातिजात निवासी लीलार देवदास ने नामदुरस्ती का विवेक किया है राव लीलार (जमागाम/पुनमा)  
संकर 2070-73 खालास 47 में रावरा पुत्र प्रनमा दर्ज है। जहाँ ने इस नाम को दुरुस्ती का ही नाम धर्माश्रम  
ज. पुनमा/पुनमा राजार अलिलेक दर्ज अवधि के लिए विवेक किया है। तथा चाबडी रावरा देवदास ने उपखंड होकर (इस  
नाम दुरुस्ती हेतु अहमदाबाद की हैमि वाक्ता/पुनमा) के पुनमा फौत होमै पर कलकाल खोलते कल चाकला/पुनमा  
दर्ज हो गया, जो कि अशुद्ध नाम है। इसे रावरा देवदास पर धर्माश्रम के नाम से पहचाना जाता है, उपखंडानुसार  
आदि दस्तावेज में धर्माश्रम/पुनमा/पुनमा के नाम से जाना जाता है। अतः वाक्ता/पुनमा, धर्माश्रम/पुनमा,  
पुनमा दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। उक्तानुसार रावरा/पुनमा के अलावा धर्माश्रम/पुनमा/पुनमा  
नामदुरस्ती की अनुशंका की जाती है।

राव लीलार  
24.05.18  
14/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी रूप रिपोर्ट कोलकाल व सहकारिता व म.अ.नि.  
जहाँ के लीगरी जानकारी के अनुसार नाम सुद्ध किया जाना  
अचित्त है।

15/5/18  
राव लीलार

आदेश

जहाँ द्वारा डा-पत्र उक्त कर विवेक किया कि राव लीलार के अलावा स.  
47 के जहाँ का नाम रावरा पुत्र प्रनमा दर्ज है जो गलत है (क्योंकि नाम धर्माश्रम  
पुत्र प्रनमा/पुनमा है जिसकी जेच तहसीलदार चौधरन द्वारा करवाई गई जेच रिपोर्ट  
में जहाँ का वास्तविक नाम धर्माश्रम होगा बताया है व जहाँ द्वारा पेश शास्त्र  
के भी धर्माश्रम दर्ज है। तहसीलदार चौधरन के आदेश दिए गए हैं कि उक्त  
राजस्व रिकॉर्ड में रावरा/पुनमा के अलावा धर्माश्रम दुरुस्ती करने एवं  
अहमदाबाद कसमति किया जाने परावली प्रमुख अधिकारी द्वारा शास्त्रित



उपखंड अधिकारी  
चौधरन